छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम्विधान सभा तृतीयसत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26जुलाई, 2024

(श्रावण4, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्षमहोदय(डॉ.रमन सिंह) पीठासीनहुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने श्री विजय सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यके निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निधन के उल्लेख में सदस्यों के आग्रह को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रभात झा, म.प्र.भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद का नाम भी शामिल किया तथा अध्यक्ष महोदय ने शोकोद्गार व्यक्त किये ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य मंत्रीने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने निधन का समाचार विलंब से प्राप्त होने पर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया।)

2. शासन को निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि माननीय सांसद और विधायकों के निधन की सूचना कलेक्टरतत्काल विधान सभा सचिवालय को सूचित करें। मगर देखा यह जा रहा है कि अत्यन्त विलंब से यह जानकारी विधान सभा सचिवालय को भेजी जा रही है । यह प्रदेश की स्थिति है और यह आपत्तिजनक है, अनुचित

है।शासन को निर्देश दिया जाता है कि कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और आवश्यक निर्देश जारी करें, यह उचित नहीं है।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.15 बजे स्थगित की जाकर 11.22 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्षमहोदय(डॉ.रमन सिंह) पीठासीनहुए।)

3.प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02,03, 05,06एवं 07(कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती विद्यावती सिदार अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 59तारांकित एवं अतारांकित 81प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या-03 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(तारांकित प्रश्न संख्या-05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अजय चन्द्राकरद्वारा जानकारी विलंब से प्राप्त होने के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किये जाने एवं इस प्रश्न को अगले सत्र में लिये जाने के आग्रह पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि तारांकित प्रश्न संख्या-05 पर आगामी सत्र में आधे घंटे की चर्चा की जायेगी।)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन(01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये),

(2) श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004(क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का संशोधन अध्यादेश क्रमांक-31,

(3) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 01),

(4) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-02), तथा

(5) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम,2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान2023-2024 के संदर्भ में तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्ययकी प्रवृत्तियों की समीक्षा,

पटल पर रखे ।

6. पृच्छा

श्री उमेश पटेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य द्वारा अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया।

7.ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-आज की कार्यसूची में 87 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों

को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

(1) श्री मोतीलाल साहू सदस्य ने प्रदेश में मलेरिया एवं डायरिया बीमारी से लोगों की मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापतिमहोदय(श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीनहुए।)

8. बहिर्गमन

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

9.ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पखांजूर से मायापुर सड़क जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य ने जिला बेमेतरा के ग्राम पिरदा में संचालित स्पेशलब्लास्टस लिमिटेड में हुए विस्फोट की जांच नहीं होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(अध्यक्षमहोदय(डॉ.रमन सिंह) पीठासीनहुए।)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण क्रमांक 03 पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

10. बहिर्गमन

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(1.34 बजे से 3.00 बजे तक अन्तराल)

(सभापति महोदय(श्री प्रबोध मिंज) पीठासीनहुए।)

11.ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(4) श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य ने मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये टंकी निर्माण, पाईप लाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित सी.सी.रोड एवं नाली में तोड़फोड़ किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय सभापति के निर्देशानुसार श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य पटल पर प्रस्तुत किया गया।)

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) से (87) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

उप पद क्रमांक **सदस्य**

5. श्री राजेश मूणत,
6. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह,
7. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल,
8. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल,
9. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह,
10. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह,
11. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल,

12. श्री पुन्नूलाल मोहले,
13. श्री धरमलाल कौशिक,
14. श्री धरमलाल कौशिक, सुश्री लता उसेंडी, श्री सुशांत शुक्ला,
15. गुरू खुशवंत साहेब,
16. डॉ. चरणदास महंत,
17. डॉ. चरणदास महंत,
18. डॉ. चरणदास महंत,श्री दिलीप लहरिया,
19. श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती शेषराज हरवंश,
20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश,
21. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री कुंवर सिंह निषाद,
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
24. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
25. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
26. श्री लखेश्वर बघेल,
27. श्री विक्रम मण्डावी,
28. श्री कुंवर सिंह निषाद,
29. श्री कुंवर सिंह निषाद,
30. श्री धर्मजीत सिंह,
31. श्री धर्मजीत सिंह,
32. श्री रोहित साहू,
33. श्रीमती चातुरी नंद,
34. श्रीमती चातुरी नंद,
35. श्रीमती चातुरी नंद,
36. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा,सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, कुंवर सिंह निषाद,
37. श्री लखेश्वर बघेल,
38. श्री बालेश्वर साहू,
39. श्री अनुज शर्मा
40. श्री बालेश्वर साहू,

41. डॉ.चरणदास महंत, श्री दिलीप लहरिया,
42. डॉ.चरणदास महंत, श्री संदीप साहू,
43. सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, दिलीप लहरिया, भूपेश बघेल,
44. श्री विक्रम मंडावी,श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री दिलीप लहरिया
45. सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी,
46. सर्वश्री भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव,
47. श्री देवेन्द्र यादव,
48. श्री अजय चन्द्राकर ,
49. श्री अटल श्रीवास्तव,
50. श्री अटल श्रीवास्तव,
51. श्री द्वारिकाधीश यादव,
52. श्री द्वारिकाधीश यादव,
53. श्री दलेश्वर साहू,
54. श्री दलेश्वर साहू,
55. श्रीमती अंबिका मरकाम,
56. श्री धरमलाल कौशिक,
57. श्री धर्मजीत सिंह,
58. श्रीमती शेषराज हरवंश,
59. श्रीमती संगीता सिन्हा,
60. श्री उमेश पटेल,
61. श्री उमेश पटेल,
62. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,
63. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,
64. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,
65. श्री अनुज शर्मा,
66. श्री अनुज शर्मा,
67. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी,
68. श्री देवेन्द्र यादव,
69. सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,फूलसिंह राठिया,

70. सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,जनक ध्रुव,

71. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,,

72. सुश्री लता उसेण्डी,

73. श्री भोलाराम साहू,

74. श्री द्वारिकाधीश यादव,

75. श्री जनक ध्रुव, श्रीमती अंबिका मरकाम,

76. श्री गजेन्द्र यादव,

77. श्री सुशांत शुक्ला,

78. श्री विक्रम मंडावी,

79. श्री दीपेश साहू,

80. श्री राजेश मूणत,

81. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल,

82. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल,

83. डॉ.चरणदास महंत,श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,

84. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा,श्री बालेश्वर साहू,

85. श्री धरमलाल कौशिक,

86. श्री उमेश पटेल,

87. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल,

12. प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 की बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक अनुमान की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक - 115 पर उल्लेखित मद क्रमांक-1 के संस्था के विवरण में सरल क्रमांक 3 एवं 4 पर शाला का नाम क्रमशः "प्राथमिक शाला परसवानी"एवं "प्राथमिक शाला आमापारा"अंकित है, को "प्राथमिक शाला परसवानी"के स्थान पर "प्राथमिक शाला परसवानी (दहदहा)"तथा "प्राथमिक शाला आमापारा"के स्थान पर "प्राथमिक शाला कमरौद"संशोधन प्रस्तुत किये।

13. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को मैंने सदन में 32 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की हैं। उक्त

सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्रीमती संगीता सिन्हा (2 सूचनाएं)
2. श्री देवेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
3. श्रीमती चातुरी नंद (4 सूचनाएं)
4. श्री द्वारिकाधीश यादव
5. श्रीमती शेषराज हरवंश
6. श्री उमेश पटेल (2 सूचनाएं)
7. श्री रिकेश सेन (2 सूचनाएं)
8. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
9. श्रीमती अंबिका मरकाम
10. श्री भईयालाल राजवाड़े (2 सूचनाएं)
11. श्री कुंवरसिंह निषाद (3 सूचनाएं)
12. श्रीमती अनिला भेंडिया
13. श्री ब्यास कश्यप
14. श्री दलेश्वर साहू
15. श्री रामकुमार यादव
16. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
17. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
18. श्री पुन्नूलाल मोहले
19. श्री इन्द्र साव
20. डॉ. चरणदास महंत
21. श्री रामकुमार टोप्पो
22. श्री भोलाराम साहू

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्री पुन्नूलाल मोहले

3. श्रीमती भावना बोहरा

8. श्रीमती रायमुनी भगत

9. श्री विक्रम उसेण्डी

11. श्री अनुज शर्मा

15. प्रस्ताव

"यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।"

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि "यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।"एवं भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री किरण देव,

(अध्यक्षमहोदय(डॉ.रमन सिंह) पीठासीनहुए।)

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण), श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, सुश्री लता उसेण्डी, गुरू खुशवंत साहेब, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह),

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

16.शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8सन् 2024)

श्री ओ.पी.चौधरी,वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री नेप्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अमर अग्रवाल

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री उमेश पटेल, नीलकण्ठ टेकाम, राघवेन्द्र कुमार सिंह, अनुज शर्मा

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2से 4इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री नेप्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

17. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "अंबिकापुर को वृहत्तर रेलवे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़ा जाय।"

श्री धर्मजीत सिंह , सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रबोध मिंज, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते,

(सभापति महोदय(श्री प्रबोध मिंज) पीठासीनहुए।)

18. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीया सदस्या श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते को जन्मदिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

19. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, राजेश अग्रवाल, श्रीमती गोमती साय,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत करने का आग्रह किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराये जायें।"

श्री राजेश मूणत, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री किरण देव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल, रामकुमार यादव, गजेन्द्र यादव, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, ब्यास कश्यप, धरमलाल कौशिक, कुवंर सिंह निषाद,

(सभापति महोदय(श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीनहुए।)

श्री अरूण साव,उपमुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने चर्चा का उत्तर देते हुए इसके परीक्षण के लिए शासन की ओर से एक कमेटी गठित करने का कथन करते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

माननीय सदस्य श्री राजेश मूणत ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

3. सदन का यह मत है कि "जिला-मुंगेली विकास खण्ड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाये "

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री लखेश्वर बघेल, सुशांत शुक्ला,

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा इस पर परीक्षण कर निर्णय लेने का कथन करते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

4. सदन का यह मत है कि "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये। "

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुन्नूलाल मोहले, प्रबोध मिंज,

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए भविष्य में इसके संबंध में रणनीति बनाकर, भविष्य की नीतियां बनाने हेतु शासन स्तर पर टीम गठित करने का कथन करते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

5. सदन का यह मत है कि "प्रदेश में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाये। "

श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रोहित साहू,

(अध्यक्षमहोदय(डॉ.रमन सिंह) पीठासीनहुए।)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती अनिला भेंडिया

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम गठित कर भविष्य में पूरी क्षमता से डॉक्टरों की भर्ती करने का आश्वासन देते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने स्थिति स्पष्ट की ।

माननीय सदस्य श्रीमती अनिला भेंडिया ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति दी ।

संकल्प वापस हुआ।

20.सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

षष्ठम् विधान सभा का यह तृतीय सत्र जो 22 जुलाई से शुरू हुआ। सावन के पवित्र माह से प्रारंभ हुआ। आज मानसून सत्र का अंतिम दिवस है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आवश्यक कार्य से बहुत आवश्यक मीटिंग हेतु दिल्ली गये हुए हैं। उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को उनके सहयोग के लिए विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके सहयोग और समन्वय से यह सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और यह सत्र ऐसा अद्भुत सत्र था कि मेरे लंबे अनुभव के बाद,बहुत लंबे समय से मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं। इस बार हम सबने गांधी जी को परेशान नहीं किया। हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है और मुझे यह देखकर अच्छा लगा। बजट सत्र और वर्तमान मानसून सत्र के मध्य देश में लोकतंत्र का पावन अनुष्ठान लोक सभा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न हुई, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अपनी ओर से और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि उनके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश के विकसित राज्य की श्रेणी में आए और नये आयामों को स्पर्श करे। हमारा देश समग्र क्षेत्रों में विकास के नये आयामों को स्पर्श करने में सफल हो। जैसा कि आपको विदित है कि यह मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई, 2024 तक आहूत किया गया था। इस पांच दिवसीय सत्र में कुल पांच बैठकें हुईं। यह

बहुत छोटा सत्र जरूर रहा, मगर इस छोटे सत्र में भी विकास के समग्र विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई और बहुत अच्छी बातें भी निकलीं। उपलब्धि का विषय यह है कि इस लघु सत्र में आप सभी माननीय सदस्यगण ने छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित समग्र विषयों पर सार्थक और सारगर्भित चर्चा की। इस अवसर पर मैं पहली बार चुनकर आये सभा के माननीय सदस्यों की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा। जिन्होंने यह दिखा दिया कि यह विधान सभा उतना ही जीवंत रहेगा, जितने इसके पूर्व के विधान सभा रहे हैं। उन्होंने विधान सभा के अंदर और विधान सभा के बाहर भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। यह बहुत बड़ी सफलता है। अपने संसदीय ज्ञान से उन लोगों ने संसदीय विषयों पर अपनी अभिरूचि भी दिखाई। मेरा आपसे आग्रह है कि संसदीय विषयों पर अभिरूचि की यह निरंतरता सदैव बनाये रखें। मैं सबसे पहले शुरूआत करना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी और उनकी संसदीय विद्वता और सजगता के उल्लेख से, जो विधान सभा में पूरे समय सबके आने के एक घण्टा पहले आते हैं और आप सबके जाने के एक घण्टा बाद जाते हैं।

ये नए सदस्यों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार संसदीय प्रक्रिया में सतत सजगता हो। सदस्य कोई एक शब्द भी इधर से उधर बात करेगा, बाकी लोगों की निगाह में नहीं आएगा, पर अजय चन्द्राकर जी के कान से वह बच नहीं सकता। इतनी जागरुकता उनकी है। मैं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पहली बार संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बहुत सफल कार्य किया ।नए मंत्रियों में, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मगर दो-तीन मंत्रियों को मैं विशेष रूप से जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं दूंगा। विशेष रूप से उप मुख्य मंत्री विजय शर्मा जी का परफार्मेंस काफी बेहतर लगा। ओ.पी.चौधरी ने भी बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया और अंत में स्वास्थ्य मंत्री सबसे कठिन सवालों पर उलझकर भी उससे बचकर निकले हैं, ये उनकी खूबी रही है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने बहुत अच्छा परफार्मेंस दिया। नए सदस्यों ने इस विधान सभा के अंदर काफी प्रभावित किया। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मगर कुछ नाम जरुर लूंगा, जो पहली बार विधान सभा में ऐसा बोल रहे थे, जैसे वे लगातार विधान सभा के सदस्य रहे हों। मैं दो-तीन नाम ही ले पाऊंगा। सुशांत शुक्ला ने बहुत अच्छा परफार्मेंस दिखाया। अनुज शर्मा और भावना बोहरा जो कि पहली बार जीतकर आए हैं, उनकी विधान सभा के अंदर एक बेहतर उपस्थिति रही। मैं राघवेन्द्र सिंह और हर्षिता स्वामी बघेल जी के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि एकदम पहली बार आकर बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा। बाकी सबकी सक्रियता रही। विपक्ष की भी काफी बेहतर भूमिका इस विधान सभा में रही। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आप

सभी सदस्यगणों से यही अनुरोध करता हूं कि आप जिन भी संसदीय समितियों के सभापति या सदस्य हैं, क्योंकि विधान सभा सत्र के बाद हमारी क्या भूमिका होती है तोविधान सभा पूरे साल में 50-60 दिन चलती है, उसके बाद हम किस प्रकार से अपनी कार्यपालिका पर अंकुश लगा सकते हैं, यह प्रश्न बार-बार आता है। इसका एक ही जवाब है कि इन 50 दिनों के अतिरिक्त समय में हमारे विधायक हमारे संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वहाँ गंभीरता से बैठते हैं, तो वह एक मिनी विधान सभा के रुप में काम करता है और वहाँ हमारे विधायकों की भूमिका है। उन समितियों में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। इससे कार्यपलिका पर नियंत्रण भी होता है और विकास कामों की समीक्षा भी आप पूरी तरह से कर सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और विकास को आपको समझना है,तो इन समितियों में जितना समय आप देंगे, उतना ही आप एक बेहतर विधायक के नाते अपने आपको आगे बढ़ा पायेंगे। मैंने पूर्व में भी आप सबसे आग्रह किया था कि सदन की मर्यादा और परंपरा बनाए रखना हमारा और आप सबका प्राथमिक दायित्व है।मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने इस सदन की उच्च परंपराओं को बनाया ही नही, आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा का हिन्दुस्तान की अन्य विधान सभाओं में उदाहरण दिया जाता है, जहाँ अनुशासन के साथ सारे विषयों में चर्चा होती है। पांच दिन में इतने विषयों पर डिबेट हुआ, इतनी बातचीत हुई, इतनी चर्चा हुई। 9- 10 बजे रात तक बैठकर सारे विषयों में भाग लेने की परंपरा छत्तीसगढ़ में जीवित है और इसे आपने सहेजकर रखा है। दूसरे विधान सभा वाले इसकी चर्चा करते हैं, जहाँ कभी बहस नहीं होती, चर्चा नहीं होतीऔर सारे विषय एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। इस विषय को हम और आगे बढ़ायेंगे।

मैं इस अवसर पर प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की भूमिका की सराहना करता हूं।उन्होंने सक्रिय और सजग प्रतिपक्ष की भूमिका को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। शासन की नीति और योजनाओं के क्रियान्वयन के विषय में चर्चा के विभिन्न माध्यमों प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन का भरपूर उपयोग किया है। आपने-अपने विरोध के साथ-साथ सुझाव से इस सदन के लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत बनाया है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय साथीगणों की इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने कई अवसरों पर अपने-अपने जनप्रतिनिधित्व दायित्वों को अपनी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर रखकर इस विधान सभा में अपनी भूमिका बनाई। अपने ही दल के मंत्रिगणों से जनकल्याण की योजनाओं के प्रश्नों पर आप लगातार प्रश्न और आक्रमण भी करते रहे और यही हमारी संसदीय परंपरा की सबसे बड़ी खूबी है कि हम पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, अपने क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर हम इस विधान सभा में अपना आचरण करते हैं। मैं

आप सब की सोच और संसदीय आचरण की मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। आप सब को बधाई देता हूं ।

आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री,माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रकृति के संरक्षण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम की शुरूआत की है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस सत्र के दौरान गुरूवार, 25 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आप माननीय सदस्यगणों से एक पेड़ माँ के नाम से विधान सभा आवासीय परिसर पर रोपित किया। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण के इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और एक सामाजिक दायित्व का पूर्णतः निर्वहन सुनिश्चित करें। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी का सामाजिक और नैतिक दायित्व है।

मैं इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में कुल 5 दिवसों में लगभग 31 घण्टे, 50 मिनट चर्चा हुई । इन 5 बैठकों में 27 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिसके उत्तर शासन द्वारा दिये गये। इस सत्र में 492 तारांकित प्रश्न और 472 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 966 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं एवं प्रति बैठक प्रश्नों का औसत 193 प्रश्न रहा, जो छत्तीसगढ़ के विधान सभा के इतिहास में सर्वाधिक है । यह है जागरूकता। इतने प्रश्न इसके पहले मानसून सत्र में कभी नहीं पूछे गये। यह माननीय सदस्यों की प्रदेश एवं अपने क्षेत्र के प्रति दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, आपकी जागरूकता को दिखाता है और मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में हमारे जागरूक माननीय सदस्यों द्वारा लगभग 96 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाईन के माध्यम से पूछे गये। नये तकनीक का उपयोग छत्तीसगढ़ विधान सभा किस तेजी से करता है, इसका प्रमाण है कि हमारे जो 96 प्रतिशत प्रश्न आये हैं, वह ऑनलाईन माध्यम से आये हैं । यह आप सब की सफलता है। मैं इसके लिये आप सब को बधाई दूंगा। इस सत्र में कुल 367 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 142 सूचनाएं ग्राह्य और 22 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित हुई। इस सत्र में कुल 137 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 01 सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा के उपरांत अग्राह्य किया गया। नियम 267 "क"के अंतर्गत शून्यकाल की 70 सूचनाएं प्राप्त हुईं,जिसमें 29 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। वर्तमान सत्र में 232 याचिकाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुईं,जिनमें 74 ग्राह्य, 49 अग्राह्य, 30 व्यपगत और 109 विचाराधीन रही। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित तीन विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए। इस सत्र का महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य प्रथम अनुपूरक अनुमान जिस पर 5

घण्टे और 22 मिनट चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस सत्र में 10 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी,जिसमें से 9 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुए और 5 अशासकीय संकल्प पर चर्चा हुई।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं माननीय पत्रकार साथियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ अपने प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव, श्री अमिताभ जैन सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है । उस परम्परा के अनुसार मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। तद्नुसार आगामी सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी से प्राथमिक हुई है।

आईये, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये।

21. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

रात्रि 9.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा

सचिव